न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—रामनिवास मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 17 / 2023 **दायर दिनांकः 13 / 06 / 2023**

रजि0 नं0—2023 / 86

उनवान

1. उरका आयु 63 वर्ष पुत्री गंगाबिशन पत्नी गिर्राज जाति कुम्हार निवासी बमोरी हाल निवासी अन्नतपुरा फुटा तालाब कोटा राज0।

प्रार्थिया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारां राज0।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :—

प्रार्थिया :—विद्वान अभिभाषक श्री भगवान स्वरूप मंगल

आदेश दिनाक : 09 / 12 / 2023

पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। अभिभाषक प्रार्थिया उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थिया ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0 का इस आशय का पेश किया है प्रार्थिया के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी ग्राम एवं माल बमोरी पटवार हल्का बमोरी तहसील अटरू में खाता संख्या 89 का ख0नं0 783 का रकबा 0.19 है0, ख0नं0 784 का रकबा 0.27 है0, ख0नं0 785 का रकबा 0.75 है0, ख0नं0 786 का रकबा 1. 98 है0 कुल किता 4 का रकबा 3.19 है0 भूमि स्थित है जिसमें प्रार्थिया का हिस्सा 3 / 20 दर्ज खाता चला आ रहा है। नकल जमाबन्दी संवत 2070—73 संलग्न है जो काबिले गौर है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि में प्रार्थिया के पिता गंगाबिशन के स्वर्गवास के पश्चात नामान्तरण दर्ज करते समय प्रार्थिया को पुत्री के स्थान पर पुत्र बताकर नामान्तरण दर्ज कर दिया। जबकि प्रार्थिया गंगाबिशन की पुत्री है। जमाबन्दी में उरका पुत्री गंगाबिशन के बजाय उरका पुत्र गंगाबिशन दर्ज कर रखा है। जमाबन्दी में व अन्य दस्तावेज रिकार्ड में अलग अलग

नाम होने से प्रार्थिया को भूमि का विकास करवाने व अन्य कार्यों में कठिनाइयों का सामना करना पड रहा है। जिसे प्रार्थिया दुरूस्त करवाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने के अधिकारी है। प्रार्थिया ने दिनांक 17.04.2023 को श्रीमान तहसीलदार साहब से राजस्व रिकार्ड में हो रही त्रुटि को दुरूस्त करने का निवेदन किया तो श्रीमान तहसीलदार साहब ने माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश करने की हिदायत दी। इसलिए माननीय न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित भूमि में हो रही त्रुटि को प्रार्थिया दुरूस्त करवा कर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करवाया जाना संभव नहीं है, अस्तु माननीय न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से तथा प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार होने से उसे अप्रार्थी बनाया गया हैं आराजी ग्राम बमोरी तहसील अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र उचित न्याय शुल्क एवं अवधि मध्य पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है। अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित भूमि में प्रार्थिया का राजस्व रिकार्ड में उरका पुत्र गंगाबिशन को दुरूस्त किया जाकर उरका पुत्री गंगाबिशन कर राजस्व रिकार्ड में अकंन किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने के कारण जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया।

3. अभिभाषक प्रार्थिया की बहस एकतरफा सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थिया ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम एवं माल बमोरी में खाता संख्या 89 का ख0नं0 783 का रकबा 0.19 है0, ख0नं0 784 का रकबा 0.27 है0, ख0नं0 785 का रकबा 0.75 है0, ख0नं0 786 का रकबा 1.98 है0 कुल किता 4 का रकबा 3.19 है0 भूमि प्रार्थिया के शामलाती खाते में स्थित है जिसमें प्रार्थिया का हिस्सा 3/20 दर्ज है। उक्त विवादित आराजी में प्रार्थिया के पिता गंगाबिशन के स्वर्गवास के पश्चात नामान्तरण दर्ज करते वक्त प्रार्थिया को पुत्री के स्थान पर पुत्र बताकर नामान्तरण दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थिया खातेदार गंगाबिशन की पुत्री है। अतः उक्त विवादित आराजी में रिकार्ड दुरूस्त करते हुए प्रार्थिया का नाम उरका पुत्र गंगाबिशन के स्थान पर उरका पुत्री गंगाबिशन दर्ज किया जावे।

4. अभिभाषक प्रार्थिया की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थिया द्वारा पेश ग्राम बमोरी की जमाबन्दी संवत 2070–73 के खाता संख्या 89 का ख0नं0 783 का रकबा 0.19 है0, ख0नं0 784 का रकबा 0.27 है0, ख0नं0 785 का रकबा 0.75 है0, ख0नं0 786 का रकबा 1.98 है0 कुल किता 4 का रकबा 3.19 है0 आराजी के शामलाती खाते में प्रार्थिया का नाम उरका पुत्र गंगाबिशन हिस्सा 3/20 दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थिया द्वारा पेश आधार कार्ड में उरका पत्नी गिर्राज दर्ज है जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थिया एक महिला है।

5. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर ग्राम बमोरी की विवादित आराजी में प्रार्थिया को पुत्र के स्थान पर पुत्री दर्ज करना न्यायोचित है। अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0 न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल बमोरी तहसील अटरू में खाता संख्या 89 का ख0 नं0 783 का रकबा 0.19 है0, ख0 नं0 784 का रकबा 0.27 है0, ख0नं0 785 का रकबा 0.75 है0, ख0नं0 786 का रकबा 1.98 है0 कुल किता 4 का रकबा 3.19 है0 आराजी में प्रार्थिया का नाम उरका पुत्र गंगाबिशन के स्थान पर उरका **पुत्री** गंगाबिशन दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करे।

यह निर्णय आज दिनांक 09/12/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामनिवास मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां